न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा,

राजस्व दावा संख्या 70/2016

निर्णय दिनांक 06.12.2019

हरभज पुत्र नानकराम जाति मेघवाल निवासी लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1. झूमा पत्नी मोहनराम 2. प्रभूराम 3. चीमाराम 4. चांदाराम पुत्रगण देवाराम 5. रूखी 6. लाधू पुत्रियान नानकराम जाति मेघवाल निवासी लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर। 7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नोखा बीकानेर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–

1. श्री हनुमान चौधरी अधिवक्ता वादी की तरफ से
2. प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही
3. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से।

दावा अंतर्गत धारा 88,92 क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दावा वादी के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार व खानदान व एक ही गांव के स्थायी वाशिन्दे है व काश्तकार पेशा व्यक्ति है। वादगत अराजियात हाल खसरा नम्बर 2317/1687 तादादी 3.73 हैक्टेयर वाके रोही लालमदेसर बड़ा स्थित है। जो वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 व प्रतिवादी सं. 1 के पति मोहनराम के संयुक्त खातेदारी में स्थित है। वादगत भूमि जैर बहस वादी के पक्ष में प्रतिवादीसं. 1 के पति मोहनराम द्वारा वसियत करने पर कानूनन वादगत आराजियात का मोहनराम के फौत होने के बाद वादी वसियत के आधार पर अपने नामान्तकरण दर्ज नहीं करवा सके व वादी को ज्ञान नहीं था कि वादी के पक्ष में मोहनराम द्वारा वसियतशुदा वागदत आराजियात का रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं है। नाम दर्ज होने से वसियत के राईटस पर विपरित प्रभाव नहीं हो सकता व आज भी वादी के वसियति खातेदारी राईटस इन्टेक्ट व सुरक्षित है। वादी के पक्ष में मोहनराम द्वारा वसियत करने से भूमि जैर बहस में वादी में मोहनराम के निहित पर कानूनन हकदार हो गये व सहखातेदारों के आपसी समझौता से मौका पर मौखित बंटवारा कर लिया, जिसमें वादगत आराजियात का जो रकबा वादी के पिता के पक्ष में रखा गया उसी अनुसार आज तक मौका पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौका पर काश्त की हुई है व परिवार सहित मौके पर ढाणी में रहते है। प्रतिवादी सं. 1 के पति ने अपने निहित हिस्सा को वादी को वसियत करने के बाद मोहनराम के फौत होने के समय से ही वादगत आराजियात में हक निहित हो गये व मोहनराम के हित के

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

लगातार 2

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्या 70/2016

स्थान पर वादी का हक निहित हो जाने से वादी मोहनराम का वसियति वारिस होने के कारण कानूनन होने से ही खातेदारी घोषणा के मुस्तहक है। वादी के द्वारा वसियत के आधार पर कानूनन निहित हिस्सानुसार हक दर्ज कराने हेतु प्रतिवादी सं. 7 को कई बार कहा गया, मगर प्रतिवादी सं. 7 टालमटोल करते रहे। व वादी की कही को अनसुनी करता रहा। अब भूमि जैर बहस बाबत प्रतिवादी सं0 1 के मन में खोट खेट उत्पन्न हो गया है। व वादी के मोहनराम द्वारा वसियत आधारित भूमि हिस्सा हड़प करने पर अमादा है। प्रतिवादी सं. 1 के पति द्वारा वादी को भूमि जैर वसियत के आधार पर हक व हिस्सा वादी के पक्ष में किया गया उसका दिनांक 9.6.2016 को बैंक से ऋण लेने हेतु पटवारी हल्का से रिकार्ड लेने गया तो पटवारी हल्का द्वारा खाता की नकल देकर ज्ञात करवाया गया कि आपके नाम से रिकार्ड नहीं है तो प्रतिवादी सं. 7 तहसीलदार नोखा के पास जाने के बाद उन्होने बताया कि सरपंच के पास जावो या दावा करों । इस लिये नामान्तकरण दर्ज करने से इन्कार हो गये सो यदि दिनांक विनाय दावा मुखास्मत है। वादी वसियत के आधार पर हक हकुक हासिल कर चुका है। मात्र घोषणा की रिलिफ होने के कारण प्रतिवादी सं. 7 से प्रत्यक्ष कोई रिलिफ नहीं चाही है। इसलिये इनको धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मामला अरजेन्ट नेचर का होने के कारण धारा 80 सीपीसी के नोटिस देने से मुक्ति चाहते है। अतः वादी प्रतिवादीगण सं. 1 के पति मोहनराम के द्वारा निस्पादित होने के आधार पर वादी का नाम बतौर खातेदार घोषित किया जाकर तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमावे। तथा चिरनिषेधाज्ञा इस आशय कि की जावे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि में प्रवेश नहीं करें ना ही किसी दिगर शख्स से कब्जा करावे। जिससके वादी के खातेदारी व काश्तकारी अधिकारों पर विपरित असर पड़े। अन्य कोई रिलिफ नियम व कानून से बनती हो तो वादी को दिलाई जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। पेशी दिनांक 31.08.2016 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में अंकित वादगत भूमि के खसरा नम्बर 2317/1687 तादादी 3.73 हैक्टेयर बाधनू की रोही में स्थित है। वादपत्र में सहवन से लालमदेसर बड़ा अंकित कर दिया गया। अतः वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि वाके रोही लालमदेसर बड़ा के स्थान पर बाधनू पढ़े जाने के संशोधित आदेश जारी किये गये। पेशी दिनांक 3.11.2017 प्रतिवादी सं. 1 ता 4 बावजूद रजिस्टर्ड समन तामील के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध तरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश दिये गये। पेशी दिनांक 11.1.2018 प्रतिवादी सं. 5 व 6 बावजूद रजिस्टर्ड समन तामील के उपस्थित नहीं

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्या 70/2016

होने पर उनके विरूद्ध तरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश दिये गये। पेशी दिनांक 21.8.2019 को गवाह हरभजराम ने मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। तथा गवाह से जिरह की गई, वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 (3) जाब्ता दिवानी प्रस्तुत करके निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिया जावे। जो स्वीकार किया जाकर फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाने की अनुमती के आदेश पारित किये गये। पेशी दिनांक 11.12.2019 को प्रकरण में बहस समाअत की गई। वकील वादी ने अपनी बहस के दौरान अपने वाद पत्र के कथनो को दौहराते हुवे निवेदन किया कि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अतः मेरा दावा स्वीकार फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में नजीरात डीएनजे 2000–01 (Sup.) पृष्ठ सं. 245 प्रस्तुत की।

निर्णय

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया, वकील वादी की इकतरफा बहस के तर्को पर मनन किया, वकील वादी द्वार प्रस्तुत नजीनात का सम्मान पूर्वक अवलोकन अध्ययन किया। जिससे वादी का यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,92 (क), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य पाया जाने पर वादी का यह राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92 (क) स्वीकार स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि ग्राम बादनू के खसरा नम्बर 2317/1687 तादादी 3.73 हैक्टेयर में वादी को प्रतिवादी सं. 1 के पति मोहनराम के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो साथ ही अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि वे वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बैजा दखलअन्दाजी ना करे ना ही करावे। तहसीलदार नोखा को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक **18.12.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी,
नोखा

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री बमुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा

बईजलास रमेश देव आर.ए.एस.
हरभज पुत्र नानकराम जाति मेघवाल निवासी लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा
बनाम झूमा वगैरहा
दावा बाबत घोषणात्मक
मुकदमा नम्बर 70/2016
निर्णय दिनांक 18.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूब्रू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनाराण सियाग, मिनजानिब मुदई प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही तथा स्टेट की ओर से पैरोकार राज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का यह राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92 (क) स्वीकार स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि ग्राम बादनू के खसरा नम्बर 2317/1687 तादादी 3.73 हैक्टेयर में वादी को प्रतिवादी सं. 1 के पति मोहनराम के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो साथ ही अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि वे वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बैजा दखलअन्दाजी ना करे ना ही करावे। तहसीलदार नोखा को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक **18** माह **दिसम्बर** सन् **2019** को जारी किया गया।

18/12/19
(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी,
नोखा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

18/12/19
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.01.24 18:01:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: